



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



अवकाश नाम, संख्या, क्षेत्र एवं अंतिम तिथि का विवरण
Kendrapada Bhawan, 2nd Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226024, Telephone-3326496
Email: kendrapada@nic.in

पत्र सं० 8वीं/यू०पी०/०६/३४/२०१८/एफ०सी० 1794

दिनांक : 30.12.2022

सेवा में,
अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/13881/2015

विषय: कार्योपरांत स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रायघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० 15.150 की बांकी पट्टी पर ग्राम उखलागा के खसरा सं०-1470 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे० संरक्षित पनमूँ का बिना वृक्ष पातन के गैर-बानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।
सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 1748/11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015 दिनांक 21.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वन), उ०प्र० के पत्रांक 618/14-2-2017-800 (56)/2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.04.2018 द्वारा आवश्यक सूचनाएँ माँगी गई थीं जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी थी।

प्रस्तुत अनुपालना के अवलोकन उपरान्त प्रकरण में मंत्रालय की आगामी कार्यवाई हेतु प्रकरण को दिनांक 21-12-2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सहायक समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सहायक समिति की बैठक में प्रकरण को मंत्रालय की आगामी कार्यवाई हेतु प्रेषित किये जाने की स्वीकृति इन शर्तों के साथ प्रदान की गयी है कि-

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पांच (5) गुना दण्डात्मक एन०पी०वी० एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
2. सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाई की विस्तृत आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाई कर जानकारी/सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने कष्ट करें, जिससे प्रकरण को मंत्रालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सके।

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सांभाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
4. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु आदेश पत्रायली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-2225/11सी-FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 02, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

02 पृ

पेज संख्या-02-

ई-मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)

पत्रांक: 1933 / 14-1 (13381/2015) दिनांक: अलीगढ़, जनवरी: 04, 2023

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग-अलीगढ़ को बिन्दुवार वॉच्छित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल 04 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

